



नागरिक चार्टर/ ग्राहक चार्टर

भारी उद्योग विभाग
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

<http://www.dhi.nic.in>

विजन - विभाग के अंतर्गत आधुनिक, स्वस्थ और सुदृढ़ ऑटो, हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल और कैपिटल गुड्स सेक्टर तथा स्वनिर्भर और विकासोन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

मिशन- भारी उद्योग विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रुग्ण और हानि उठा रहे उपक्रमों के पुनर्गठन और पुनरुद्धार का प्रयास करता है। भारी उद्योग विभाग राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के जरिए अत्याधुनिक अनुसंधान तथा परीक्षण अवसंरचना का निर्माण कर वैश्विक ऑटोमोटिव उत्कृष्टता के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। भारी उद्योग विभाग ऑटो सेक्टर, हेवी इलेक्ट्रिकल्स तथा कैपिटल गुड्स उद्योग के सभी सेक्टरों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करा कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है।

सेवाएं- यह विभाग नागरिकों, भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एसोसिएशनों, सांविधिक निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्यों को सेवाएं देता है जैसाकि नीचे मानदंडों के साथ "मुख्य सेवाएं" के अंतर्गत दर्शाया गया है:

मुख्य सेवाएं/ व्यवहार

क्र.सं.	सेवाएं/ व्यवहार	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (दूरभाष) नंबर	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि (रुपए)
नागरिकों को सेवाएं										
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट पाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना।	10.0	श्री वी.एस. यादव, अवर सचिव	yadav. vs@nic.in	011-23063347	आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की प्राप्ति प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करना	1. चिकित्सा प्रमाण पत्र 2. विनिर्माता का प्रमाण पत्र 3. व्यक्ति से शपथ पत्र (ब्यौरे/ आवश्यक दस्तावेज के प्रपत्र के लिए कृपया www.dhi.nic.in/ पर क्लिक करें)	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
2.	शिकायतों को दूर करना	10.0	श्री शशांक गोयल, संयुक्त सचिव और शिकायत निवारण निदेशक	shashank.goyal@nic.in या pgcell-dhi@nic.in	011-23063740	शिकायत की प्राप्ति और पावती जारी करना संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम /भारी उद्योग विभाग के अनुभाग को भेजना संबंधित प्राधिकरणों से	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

						इनपुट प्राप्त करना				
						संबंधित व्यक्ति को की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजना				
						सीपीजीआरए एमएस को अपेडट करना				
3.	सूचना का अधिकार के आवेदन पत्र (यह सेवा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दृढता से प्रदान की जाती है।)	10.0	श्री मनजीत कुमार, उप सचिव और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी	kumar.manjit@nic.in	011-23061565	सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	पीएण्ड एओ, भारी उद्योग विभाग या डीडी ओ, भारी उद्योग विभाग	प्रत्येक आरटीआई आवेदन के लिए रु0 10/- पहले अपील के लिए को शुल्क नहीं। दस्तावेजों के प्रति के लिए 2 रुपए प्रति पृष्ठ या दस्तावेज का वास्तविक लागत। रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए -पहले घंटों के लिए कोई शुल्क नहीं तथा अगले प्रत्येक घंटे या भाग के लिए रुपए 5/- (आरटीआई के तहत शुल्क आरटीआई के प्रावधान (नियमन शुल्क और लागत) नियम 2005 का संदर्भ लें)
			श्री शशांक गोयल, संयुक्त सचिव और अपीलीय प्राधिकारी	shashank.goyal@nic.in	011-23063740	धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को आवेदन पत्र भेजना, यदि आवश्यक हो।				
						धारा 5(4) के तहत सूचना पाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन अग्रेषित करना				
						आवेदक को सूचना भेजना				
						अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पहली अपील का निपटारा।				
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्त अनुसंधान संस्थान-एफसीआरआई, एआरएआई, नैट्रिप/औद्योगिक एसोसिएशन/कंपनियों को सेवाएं										
4.	क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, संयंत्र, मशीनरी के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी	5.0	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रभारी निदेशक/उप सचिव	@	@	प्रस्तावों की जांच अंतर मंत्रालयी परामर्श, यदि	प्रस्ताव के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

	सहयोग के प्रस्तावों पर निर्णय और निधि जारी करना।					आवश्यक हो। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना। अंतिम आदेश जारी करना				
5.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण/ हानि उठा रहे उद्यमों को वित्तीय सहायता देना।	10.0	श्री शशांक गोयल, संयुक्त सचिव	shashank.goyal@nic.in	011-23063740	प्रस्ताव की जांच मंत्रिमंडल नोट तैयार करना। अंतर मंत्रालयी परामर्श सीसीईए का अनुमोदन वित्तीय सहायता जारी करना	प्रस्ताव के समर्थन में दस्तावेज तथा पिछले अनुमोदन के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
6.	विभिन्न उद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिए नैट्रिप, उद्योग एसोसिएशन और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निधि जारी करना	10.0	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ औद्योगिक क्षेत्र के प्रभारी निदेशक / उप सचिव	@	@	प्रस्ताव की जांच अंतर मंत्रालयी परामर्श सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन स्वीकृति आदेश जारी करना।	प्रस्ताव के समर्थन में दस्तावेज तथा पिछले अनुमोदन के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
7.	कैपिटल गुड्स सेक्टरों अर्थात् हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल और ऑटो सेक्टर के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में "प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम" के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए सीमा शुल्क विभाग को सिफारिशें	10.0	सेक्टर के प्रभारी निदेशक / उप सचिव	@	@	आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन की प्राप्ति आवेदन की जांच औद्योगिक सलाहकार की सलाह लेना कम्युनिकेशन जारी करना	1. आईइएम / आईएल 2. प्लॉट ले आउट 3. आयात की जाने वाली मशीनरी/ उपकरण का ब्यौरा 4. प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार/ अन्य से मिले क्लियरेंस की प्रतियां (ब्यौरे/ आवेदन पत्र	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

							और आवश्यक दस्तावेजों के लिए www.dhi.nic.in पर जाएं)			
8.	निम्नलिखित के संबंध में उद्योग एसोसिएशनों से प्राप्त संदर्भ पर कार्रवाई:- (क) हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ख) हेवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स (ग)ऑटो मोबाइल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज	5.0	औद्योगिक सेक्टर के प्रभारी निदेशक/ उप सचिव	@	@	प्रस्ताव की जांच अंतर मंत्रालयी परामर्श सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अंतिम आदेश जारी करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
केंद्रीय सरकारी मंत्रालय/विभागों/राज्य सरकारों/ सांविधिक संगठन										
9.	नीति मामलों पर अन्य मंत्रालयों /विभागों/ राज्य सरकारों/ सांविधिक निकायों से प्राप्त संदर्भ और एफआईपीबी और पीएबी के संबंध में वैयक्तिक संदर्भों पर टिप्पणियां देना।	10.0	औद्योगिक सेक्टर के प्रभारी निदेशक/ उप सचिव	@	@	प्रस्तावों की जांच संबंधित प्राधिकरणों /केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से इनपुट प्राप्त करना सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन टिप्पणियां प्रस्तुत करना	लागू नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
10	निम्नलिखित के लिए प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में डीजीएफटी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत करना:- क) शुल्क छूट योजना के अंतर्गत कच्चे माल / कलपुर्जों का आयात ख) प्रतिबन्धित मर्दों का आयात	10.0	औद्योगिक सेक्टर के प्रभारी संयुक्त सचिव	@	@	प्रस्ताव की जांच औद्योगिक सलाहकारों की सलाह लेना सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अंतिम टिप्पणियां देना	लागू नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

11	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्राधिकरणों के साथ तथा अन्य मंत्रालयों / विभागों/ राज्य सरकारों/ अन्य ग्राहकों से प्राप्त संदर्भों के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रभावी कार्रवाई करना।	10.0	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ औद्योगिक सेक्टर के प्रभारी निदेशक / उप सचिव	@	@	प्रस्ताव की जांच संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ अन्य संबंधित प्राधिकरणों को संपर्क करना सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करना।	लागू नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
----	--	------	---	---	---	--	-----------	------------	------------	------------

@ईमेल पता और दूरभाष संख्या के लिए www.dhi.nic.in देखें।

सेवा मानदंडों की आवश्यकता

क्र.सं.	सेवाएं/ व्यवहार	सेवा भार	सफलता का सूचक	सेवा मानदण्ड	इकाई	भार	आकड़ा स्रोत
नागरिकों को सेवाएं							
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट पाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना।	10.0	पूर्ण आवेदन प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड
2.	शिकायतों को दूर करना	10.0	शिकायत प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय: पावती जारी करना आवेदन का ऑनलाइन हस्तांतरण की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजना अपील, यदि कोई हो, का निपटारा	2 2 30 30	कार्य दिवस कार्य दिवस कार्य दिवस कार्य दिवस	2.0 2.0 4.0 2.0	रिकार्ड
3.	सूचना का अधिकार के आवेदन	10.0	आवेदन प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय अन्य विभागों को आवेदन भेजना आवश्यक सूचना देने का कम्युनिकेशन जारी करना प्रथम अपील का निपटारा	5 दिन 30 दिन 30 दिन	कार्य दिवस कार्य दिवस कार्य दिवस	2.0 5.0 3.0	रिकार्ड
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्त अनुसंधान संस्थान-एफसीआरआई, एआरएआई, नैट्रिप/औद्योगिक एसोसिएशन/कंपनियों को सेवाएं							
4.	क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, संयंत्र, मशीनरी के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी सहयोग	5.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	90	कार्य दिवस	5.0	रिकार्ड

	के प्रस्तावों पर निर्णय और निधि जारी करना।						
5.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण/ हानि उठा रहे उद्यमों को वित्तीय सहायता देना।	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय (पिछली तिमाही के वेतन के देय होने के तीन माह बाद प्रस्ताव भेजा जाए)	90	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड
6.	विभिन्न उद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिए नैट्रिप, उद्योग एसोसिएशन और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निधि जारी करना	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	90	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड
7.	कैपिटल गुड्स सेक्टरों अर्थात हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल और ऑटो सेक्टर के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में "प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम" के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए सीमा शुल्क विभाग को सिफारिशें	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड
8.	निम्नलिखित के संबंध में उद्योग एसोसिएशनों से प्राप्त संदर्भ पर कार्रवाई:- (क) हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ख) हेवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स (ग)ऑटो मोबाइल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज	5.0	पूर्ण प्रस्ताव/ संदीर्घ प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	90	कार्य दिवस	5.0	रिकार्ड
केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभागों/राज्य सरकारों/ सांविधिक संगठन							
9.	नीति मामलों पर अन्य मंत्रालयों /विभागों/ राज्य सरकारों/ सांविधिक निकायों से प्राप्त संदर्भ और एफआईपीबी और पीएबी के संबंध में वैयक्तिक संदर्भों पर टिप्पणियां देना।	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड
10.	निम्नलिखित के लिए प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में डीजीएफटी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत करना:- क) शुल्क छूट योजना के अंतर्गत कच्चे माल / कलपुर्जों का आयात ख) प्रतिबन्धित मदों का आयात	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड
11.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्राधिकरणों के साथ तथा अन्य मंत्रालयों / विभागों/ राज्य सरकारों/ अन्य ग्राहकों से प्राप्त संदर्भों के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रभावी कार्रवाई करना।	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	60	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड

सेवा प्राप्त करने वालों से निर्देशात्मक अपेक्षाएं

क्रम सं.	सेवा प्राप्त करने वालों से अपेक्षाएं
1.	निधियों के रिलीज संबंधी प्रस्ताव दिशानिर्देश के अनुसार पूरा होना चाहिए।
2.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/एसोसिएशनों/भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ स्वायत्त निकायों से नियमित फीड बैक।
3.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/एसोसिएशनों आदि द्वारा रिपोर्ट/रिटर्न की समय पर प्रस्तुति।
4.	शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए संशोधित कार की खरीद पर उत्पाद शुल्क में उपयुक्त छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पूर्ण आवेदन पत्र।
5.	इनपुट/तकनीकी परामर्श लेने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकारों के मंत्रालय/विभाग/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, अनुसंधान संस्थान/एसोसिएशन आदि से प्राप्त प्रस्ताव स्पष्ट और सभी प्रकार से परिपूर्ण होने चाहिए।

शिकायत निवारण प्रणाली।

निदेशक (शिकायत)

संयुक्त सचिव,
भारी उद्योग विभाग,
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
टेलीफोन -011-23063740, फैक्स -011-23037405
ई-मेल :- pgcell-dhi@nic.in

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

शिकायत उपर्युक्त टेलीफोन नंबर अथवा फैक्स या वेबसाइट www.dhi.nic.in शिकायत पोर्टल शिकायत पोर्टल <http://pgpostal.gov.in> पर ई-मेल अथवा व्यक्तिगत रूप में अथवा पोस्ट के माध्यम से दर्ज करवा कर सकते हैं।

शिकायतकर्ता से अपेक्षा

शिकायत का विषय दिए गए संगत ब्यौरे के अनुरूप स्पष्ट होना चाहिए।
शिकायतकर्ता का पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता होना चाहिए।
यदि विषय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अनुसंधान संस्थान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो शिकायत सीधे संबंधित प्राधिकरण को भेजा जा सकता है।

प्रत्युत्तर की समय सीमा

- डाक द्वारा शिकायत की प्राप्ति सूचना- दो कार्यदिवस के भीतर होनी चाहिए।
- सीपीजीआरएएमएस द्वारा की गई शिकायत की ई-प्राप्ति-सूचना शीघ्र होनी चाहिए।
- अतिरिक्त सूचना के लिए पत्र व्यवहार, यदि कोई हो-15 कार्यदिवस के भीतर होनी चाहिए।
- की गई कार्रवाई रिपोर्ट-30 कार्यदिवस के भीतर होनी चाहिए।

स्टेकहोल्डर /ग्राहक

क्रम सं.	स्टेकहोल्डर /ग्राहकों का विवरण
	नागरिक
1.	संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट चाहने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति
2.	भारी उद्योग विभाग को जन शिकायत भेजने वाले असंतुष्ट व्यक्ति
	ग्राहक
3.	‘प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम’ के तहत सीमा शुल्क की रियायती दरों की मांग करने वाली कंपनियां/फर्म
4.	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (सूची के अनुसार)
5.	फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), एआरएआई - फोर्जिंग इंडस्ट्री डिवीजन (एआरएआई-एफआईडी)
6.	इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नालॉजी (आईकेट), नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप)
7.	एसोसिएशन <ul style="list-style-type: none">• ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली (एसीएमए)• सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, नई दिल्ली (एसआईएम)• इंटरनेशनल माइनिंग एण्ड मशीनरी एक्विजिशन, केरल (आईएमएमई)• इण्डियन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली (आईईएमए)• इण्डस्ट्रियल एरिया मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमए)

	<ul style="list-style-type: none"> • सिंपोजियम ऑन इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एसआईएटी) • ट्रैक्टर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (टीएमए), नई दिल्ली • नैट्रिप इंफ्लेमंटेशन सोसाइटी (नैटिस), • इण्डियन मशीन टूल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमटीएमए) • इण्डियन टेक्सटाइल एसेसरीज एण्ड मशीनरीज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई (आईटीएमएमए) • टेक्सटाइल मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया), मुम्बई (टीएमएमए) • इण्डियन प्रिंटिंग पैकेजिंग एण्ड अलाइड मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश (आईपीएमएमए) • प्रोसेस प्लांट एण्ड मशीनरी एसोसिएशन, मुम्बई (पीपीएमएमआई) • कनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री, नई दिल्ली (सीआईआई) • दी एसोसिएटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली (ऐसोचैम) • फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई दिल्ली, (फिक्की)
8.	<p>सांविधिक/प्रशासनिक प्राधिकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> • औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) • लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) • राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी)
9.	<p>केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग:-</p> <p>योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, गैर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग, सड़क परिवहन विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय, औद्योगिक नीति नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और संवर्धन विभाग/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, लोक उद्यम विभाग, रेलवे, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो</p>
10	राज्य सरकारें/ केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन

भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम और पता
1.	एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी, यूल हाऊस, 8, डा.राजेन्द्र प्रसाद सरणी, कोलकाता- 700 001
2.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल हाऊस,सिरी फोर्ट एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली - 110 049
3.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, 26, राजा संतोष रोड, कोलकाता - 700 027
4.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कं.लि., 27, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001
5.	भारत यंत्र निगम लिमिटेड, 15/1 थोर्न हिल रोड, इलाहाबाद - 211 001
6.	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड, पीओ बीएचपीवी, विशाखापट्टनम - 530 012
7.	भारत पम्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद - 211 010
8.	रिचर्डसन एण्ड कूडास लिमिटेड, भायकुला आयरन वर्क्स, पो. बॉ.सं.4503, सर जे जे रोड, मुम्बई - 400 008
9.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद -211 010
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिला बेलारी, तुंग भद्रा बांध- 583 225
11.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड, पांचवां तल, कंकरिया सेंटर, 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-700 071
12.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स,7, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003
13.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, कोर-3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003
14.	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, रूबी बिल्डिंग, 75-सी, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016
15.	नगालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कार्पोरेशन, पो.ऑ.- कागज नगर, जिला- मोकोकचुंग, नगालैण्ड -798623
16.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिन्ट नगर, जिला-कोट्टायम, केरल - 686 616
17.	एचएमटी लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूर - 560 032
18.	एचएमटी (आई) लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूर - 560 032
19.	एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूर - 560 032
20.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूर - 560 032

21.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूर - 560 032
22.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, जेनाकोट, श्रीनगर- 190 017
23.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, 9, एल्विन रोड, कोलकाता - 700 020
24.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, बी-427, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर 302 017
25.	सांभर साल्ट्स लिमिटेड, बी-427, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर 302 017
26.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर - 302 012, राजस्थान
27.	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, प्लांट प्लाजा रोड, पो.ऑ.-धुर्वा, रांची - 834 004
28.	एचपीएफ लिमिटेड, इंदु नगर, ऊटकमंड - 643 005, तमिलनाडु
29.	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, झालावाड रोड, कोटा-5 राजस्थान- 324 005
30.	नेपा लिमिटेड, नेपा नगर - 450 221, मध्य प्रदेश
31.	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, सरोजिनी नगर, पीओ बॉक्स सं.1, लखनऊ- 226 008
32.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, लेसली हाऊस, 19, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता- 700 087
33.	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल), टी कोरेंथम, छठा तल, टावर-बी, ए-41, सेक्टर 62, नोएडा - 201 309

जारी करने की तिथि: जनवरी, 2012
आगामी चार्टर समीक्षा तिथि: जनवरी, 2013